न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 483/2026
[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 989/2026]
[CNR No. UPFZ010027632026]

अखिल सिंह उर्फ झुन्ना सिंह पुत्र दीनानाथ सिंह निवासी ग्राम दलपतपुर, थाना महराजगंज, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्त **अखिल सिंह उर्फ झुन्ना सिंह** की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र संख्या 483/2026, मुकदमा अपराध संख्या 109/2026, अन्तर्गत धारा 352, 351(3), 109(1), 3(5) भा०न्या०सं० थाना महराजगंज, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा उनका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उनकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 11.04.2026 की सुबह 8.30 बजे वादी राजेश सिंह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था कि भीम सिंह अपने हाथ में पिस्टल लेकर अपने साथी मुकुल सिंह व अखिल उर्फ झुन्ना के साथ स्विफ्ट कार से आये और रास्ते में गाड़ी करने की बात को लेकर गाली देने लगे। जब वादी के पुत्र ऋषि ने गाली देने से मना किया तो भीम ने गोली चला दी, जो ऋषि के पैर की एड़ी में लगी। जब उसे बचाने वादी की पत्नी कविता सिंह और अभिषेक सिंह दौड़े तो उनके ऊपर भी फायर किया, जो बाल–बाल बच गये। जब प्रवेश सिंह, अर्जुन सिंह आये तो वे लोग फायर करते हुये व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

5. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष हैं। प्रस्तुत मामले में उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी वर्तमान में पावर कार्पोरेशन में अपने घर से 8–10 किमी० दूर दिलासीगंज में लाइनमैन के पद पर तैनात है। कथित घटना के दिन प्रार्थी अपने गांव/घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था। प्रार्थी का सह अभियुक्त से किसी प्रकार का कोई रिश्ता व सम्बन्ध नहीं है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे

जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

6. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्त सह अभियुक्त के साथ मिलकर घटना में संलिप्त रहा है। जमानत का प्रबल विरोध करते हुए जमानत खारिज किये जाने की याचना की गई है।

7. मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

8. अभियुक्त पर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी पक्ष को मारपीट कर चोटें पहुँचाने एवं उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में ऋषि सिंह एवं अभिषेक सिंह एवं कविता सिंह चोटहिल हैं। ऋषि सिंह एवं अभिषेक सिंह को दो–दो चोटें आना उल्लिखित है एवं कविता सिंह को एक चोट आना उल्लिखित है। चोटहिल ऋषि सिंह के ही फायर आर्म इंजरी का उल्लेख केस डायरी में किया गया है। प्रथम दृष्टया चोटें साधारण है, शरीर के मर्म स्थल (Vital Part) पर कोई इंजरी आने का उल्लेख नहीं है। अभियुक्त से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में आवेदक के भाई शैलेन्द्र सिंह ने वादी पक्ष के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 108/2026 पंजीकृत कराया गया है। अर्थात प्रकरण क्रास के पर आधारित है। ऐसी स्थिति मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **अखिल सिंह उर्फ झुन्ना सिंह** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 109/2026, धारा 352, 351(3), 109(1), 3(5) भा०न्या०सं०, थाना महराजगंज, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 75,000 (पिछत्तर हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
अयोध्य

दिनांकः 16.06.2026